रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052025-262833
CG-DL-E-02052025-262833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1937] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2025/वैशाख 11, 1947
No. 1937] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2025/VAISHAKHA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 मई, 2025

का.आ. 1981(अ).— केंद्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श के बाद, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का.आ.संख्या 729 (अ), तारीख 21 अगस्त, 1995 के तहत आदेश में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश में, अनुसूची I में, खंड (i) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

"(ञ) उत्पादन को बढ़ावा देने या उपज बढ़ाने के उद्देश्य से किसी भी रोगाणुरोधी औषधीय उत्पाद का उपयोग निषिद्ध होगा;

(ट) निम्नलिखित रोगाणुरोधियों या रोगाणुरोधियों के समूह और रोगाणुरोधी औषधीय उत्पाद का उपयोग श्रिम्प, झींगा या मछली और मत्स्य उत्पादों की किसी भी अन्य किस्म के लिए चारा बनाने वाली किसी पूर्वप्रक्रमण या प्रक्रमण की किसी भी इकाई में, या अवयस्क मत्स्य या लार्वा या नौप्ली के उत्पादन के लिए कल्चर में या किसी हैचरी में निषिद्ध होगा : -

(1) एंटीबायोटिक्स: -

(क) कार्बोक्सीपेनिसिलिन

(ख) यूरिडोपेनिसिलिन्स

(ग) सेफ्टोबिप्रोल

(घ) सेफ्टारोलाइन

(ड.) बीटा-लैक्टामेज इनहिबिटर्स के साथ सेफलोस्पोरिन का संयोजन

(च) साइडरोफोर सेफालोस्पोरिन्स

(छ) कार्बापेनेम्स

(ज) पेनेम्स

(झ) मोनोबैक्टम्स

(ञ) फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेट्स

(ट) ग्लाइकोपेप्टाइड्स

(ठ) लिपोपेप्टाइड्स

(ड) ऑक्साज़ोलिडिनोन्स

(ढ) फ़िडाक्सोमिसिन

(ण) प्लाज़ोमिसिन

(त) ग्लाइसिलसाइक्लिन

(थ) एरावासाइक्लिन

(द) ओमाडासाइक्लिन

(2) एंटीवायरल्स: -

(क) एमान्टाडाइन

(ख) बालोक्सावीर मार्बोक्सिल

(ग) सेल्गोसिविर

(घ) फेविपिरावि‍र

(ड.) गैलिडेसिविर

(च) लैक्टिमिडोमाइसिन

(छ) लैनिनामिविर

(ज) मेथिसाज़ोन / मेटिसाज़ोन

(झ) मोलनुपीरावि‍र

(ञ) नाइटाजोक्सानाइड

(ट) ओसेल्टामिविर

(ठ) पेरामिविर

(ड) रिबावायरिन

(ढ) रिमांटाडाइन

(ण) टिज़ोक्सानाइड

(त) ट्रायाज़ावि‍रिन

(थ) उमिफेनोविर

(द) जानामिविर

(3) एंटीप्रोटोज़ोअल्स :-

(क) नाइटाज़ोक्सानाइड "

[फा. सं. के-16012/2/2024 - निर्यात निरीक्षण]

सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में संख्या का.आ. 729(अ), तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इसे संख्या का.आ. 792(अ), तारीख 17 अगस्त, 2001, का.आ. 722(अ), तारीख 10 जुलाई, 2002, का.आ. 464(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2003, का.आ. 1227(अ), तारीख 23 अक्टूबर , 2003 और का.आ.1227(अ), तारीख 31 जुलाई, 2006 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 1st May, 2025

S.O. 1981(E).— In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendments further to amend the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce, vide number S. O. 729 (E), dated the 21st August, 1995, namely: -

In the said Order, in Schedule I, after clause (i), the following clauses shall be inserted namely:

"(j) use of any antimicrobial medicinal product for the purpose of promoting growth or to increase yield shall be prohibited;

(k) the use of any of the following antimicrobials or group of antimicrobials and antimicrobial medicinal product shall be prohibited in the culture of, or in any hatchery for producing the juveniles or larvae or nauplii of, or in any unit manufacturing feed for, or in any unit preprocessing or processing shrimps, prawns or any other variety of fish and fishery products: -

(1) Antibiotics:-

(a) Carboxypenicillins
(b) Ureidopenicillins
(c) Ceftobiprole
(d) Ceftaroline
(e) Combinations of cephalosporins with beta-lactamase inhibitors
(f) Siderophore cephalosporins
(g) Carbapenems
(h) Penems
(i) Monobactams
(j) Phosphonic acid derivates
(k) Glycopeptides
(l) Lipopeptides
(m) Oxazolidinones
(n) Fidaxomicin
(o) Plazomicin

(p) Glycylcyclines
(q) Eravacycline
(r) Omadacycline

(2) Antivirals:-
(a) Amantadine
(b) Baloxavir marboxil
(c) Celgosivir
(d) Favipiravir
(e) Galidesivir
(f) Lactimidomycin
(g) Laninamivir
(h) Methisazone / metisazone
(i) Molnupiravir
(j) Nitazoxanide
(k) Oseltamivir
(l) Peramivir
(m) Ribavirin
(n) Rimantadine
(o) Tizoxanide
(p) Triazavirin
(q) Umifenovir
(r) Zanamivir

(3) Antiprotozoals:-

(a) Nitazoxanide"

[F. No. K-16012/2/2024 - Export Inspection]

SIDDHARTH MAHAJAN, Jt.Secy.

Note:-The principal order was published in the Gazette of India, Part-II,Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 729(E), dated 21st August, 1995 and subsequently amended vide number S.O. 792 (E), dated 17th August, 2001, S.O. 722 (E), dated 10th July, 2002, S.O. 464 (E), dated 24th April, 2003, S.O. 1227 (E), dated 23rd October, 2003 and S.O. 1227 (E), dated 31st July, 2006.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.02 14:49:50 +05'30'